# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001**

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724


संख्याः 1783 / XXV–12(P-7) / 2008 देहरादूनः दिनांक 05 अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री अब्दुल सत्तार,
(RTI & SOCIAL WORKER)
मोहल्ला कस्साबान ज्वालापुर,
जनपद–हरिद्वार।

**विषयः–** **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–509 / रा0नि0आ0–1 / 2589 / 2019 दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के साथ संलग्न आपके सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना प्रेषित की जा रही है।

| | |
|---|---|
| समाजहित और निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिनांक 19 मार्च, 2019 में की गई कार्यवाही के संबध में विवरण | इस कार्यालय के पत्र संख्या–1696 / XXV-02 / 2018 दिनांक 03 अप्रैल, 2019 द्वारा जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को उक्त शिकायती पत्र के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न) |

**संलग्न–यथोपरि 01 पृष्ठ**

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

**विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं**
**सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**
**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,**
**सचिवालय परिसर, देहरादून।**

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1696 /XXV–02/2018 Part-II देहरादूनः दिनांक 03 अप्रैल, 2019

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 से संबंधित विभिन्न शिकायती पत्रों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या सं0 2549/प्रा.नि.आ.–2/1601/2014 दिनांक 29 मार्च, 2019 के साथ संलग्न निम्न विवरणानुसार शिकायती पत्र प्राप्त हुए है, जो आपके जनपदों से संबंधित है:–

| क0 स0 | पत्र प्रेषित करने वाले का नाम व पता | सन्दर्भ/विवरण | जनपद का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री अरविन्द कुमार, चूनाभट्टा, रायपुर रोड, देहरादून का दिनांक रहित पत्र। | लोकसभा चुनाव–2019 में आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में। | देहरादून |
| 2. | एक्स0 वाई0 जेड0 का दिनांक रहित पत्र | निर्वाचन ड्यूटी के संबंध में। | समस्त जनपद उत्तराखण्ड |
| 3. | श्री कपिल मल्होत्रा एवं समस्त पत्रकार, जनपद अल्मोडा का पत्र दिनांक 24.03.2019 | पत्रकारों के उत्पीडन के सम्बन्ध में कार्यवाही की मॉग। | अल्मोडा |
| 4. | श्री अब्दुल सत्तार मोहल्ला कस्साबान ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार का पत्र दिनांक 19.03.2019 | पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में। | हरिद्वार |
| 5. | श्री साहब सिंह यादव, प्रवक्ता, रा0इ0का0 सितारगंज, जनपद ऊधमसिंहनगर का पत्र दिनांक 19.3. 2019 | निर्वाचन ड्यूटी के सम्बन्ध में। | ऊधमसिंहनगर |
| 6. | कार्यालय विभागाध्यक्ष कीट विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय पन्तनगर, जनपद ऊधमसिंहनगर का पत्र दिनांक 19.03.2019 | निर्वाचन ड्यूटी के सम्बन्ध में। | ऊधमसिंहनगर |
| 7. | श्री गबर सिंह कठैत, अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य प्रार्थीगण, धनसाणी बासर, जनपद टिहरी गढवाल का पत्र दिनांक 15.03.2019 | चुनाव बहिष्कार के सम्बन्ध में। | टिहरी गढवाल |
| 8. | श्री सुबोध सिंह बिष्ट, टकाना लाईन, जनपद पिथौरागढ का पत्र दिनांक 19.03.2019 | स्थानान्तरण के सम्बन्ध में। | पिथौरागढ |

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपदों से संदर्भित प्रकरणों पर जाँचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या–1696/XXV–02/2018 , Part-II, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि उपरोक्त संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

फाइल 2/4/19

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या–509 /रा0नि0आ0–1/2589/2019 दिनांक 01 अप्रैल, 2019

## सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री अब्दुल सत्तार,(RTI & SOCIAL WORKER) मौ0–कस्साबान, ज्वालापुर, हरिद्वार का सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 20.03.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 25.03.2019 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता के उक्त अनुरोध–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि अनुरोध–पत्र में उल्लिखित सूचना जो आपके कार्यालय/विभाग से संबंधित है। आवेदक द्वारा वांछित सूचना से संबंधित शिकायती–पत्र दिनांक 19.03.2019 जो इस कार्यालय के पत्र संख्या–2549/रा0नि0आ0–2/1601/2014 दिनांक 29.03.2019 द्वारा अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को प्रेषित किया गया है।**(छायाप्रति संलग्न)** कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

**संलग्नक–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

01/4/19

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2589/2019 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

**प्रतिलिपिः–** श्री अब्दुल सत्तार,(RTI & SOCIAL WORKER) मौ0–कस्साबान, ज्वालापुर, हरिद्वार को उनके सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 20.03.2019 में उल्लिखित पूर्व शिकायती–पत्र दिनांक 19.03.2019 जो आयोग के पत्र संख्या–2549/रा0नि0आ0–2/1601/2014 दिनांक 29.03.2019 द्वारा अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को प्रेषित किया गया है**(छायाप्रति संलग्न)** के क्रम में आपके सूचना अनुरोध–पत्र को लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अंतरित कर दिया गया है।

यदि आपको उपरोक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून से उक्त सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गयी सूचना से संतुष्ट न हों तो कृपया आप उक्त कार्यालय के विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील योजित कर सकते हैं।

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

2589

1022
25/3/19

दिनाँक:-20-03-2019

सेवा मे,

'जनसूचनाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन कार्यालय-देहरादून।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के वास्ते प्रार्थना पत्र।

महोदय, बताएं कि:-

1-संलग्न दिनाँकित 19-03-2019 को एक प्रार्थना पत्र समाजहित और निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर ज्वालापुर कोतवाली के अन्तर्गत कुछ समस्याओं के बारे मे अवगत कराते हुए, प्रार्थी द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु जिलानिर्वाचन अधिकारी, पुलिस कप्तान जनपद हरिद्वार सहित एक मूल प्रति आपको भी प्रेषित की गयी थी, तो उक्त प्रेषित प्रार्थना पत्र पर राज्य के निष्पक्ष चुनाव कराने के मुखिया होने के नाते आपके माध्यम से उक्त प्रार्थना पत्र पर वर्तमान समय तक की गयी उचित कार्यवाही का विवरण दें, एवं उक्त प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित 03 वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात पुलिस कर्मियों तथा दोबारा तैनात पुलिस कर्मियों मे से आपके द्वारा सम्बंधित विभाग के किस अफसर को स्थानांतरण करने के लिए दिशा निर्देश दिये है,विवरण दें। और उक्त प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही के तहत स्थानांतरित होने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण भी दें।

समाजहित और निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर उक्त बिन्दुओं पर अतिशीघ्र सूचनाएं प्रार्थी को उपलब्ध कराये।

धन्यवाद।

प्रार्थी

अब्दुल सत्तार
(RTI & SOCIAL WORKER)
मौ०-कस्साबान ज्वालापुर, हरिद्वार

श्री नयाल

संलग्न:-

Rs-10 का भारतीय पोस्टल ओडर नं०-46F 315541

25/3/19

(बी० पी० कोठारी)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

Received
26/3/19

सेवा मे,

"श्रीमान निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून,,

एवं

"जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार,,

महोदय,

"जैसा कि आप जानते है, कि संसदीय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और आने वाली 11 अप्रैल को उत्तराखंड मे चुनाव की तिथि घोषित कर दी गयी है, निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव सम्पन्न कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है, कि शासन-प्रशासन का सहयोग करे, ताकि एक विकासशील, बिना भेदभाव की सरकार का गठन निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से हो सके, देश और समाज के हित की जिम्मेदारी को समझते हुए।

"आपको अवगत करना चाहता हूँ, ताकि आप निष्पक्ष चुनाव कराने मे पैदा होने वाली बाधाओं का समय से निस्तारण कर सके। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का ज्वालापुर क्षेत्र अतिसंवेदनशील क्षेत्रो मे आता है, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है, ज्वालापुर क्षेत्र मे नशे का अवैध कारोबार पूरे जोर शोर से संचालित है, जिसमे अवैध शराब, सुल्फा, नशे की दवाइयां, इंजेक्शन आदि का कारोबार है, जो कि पिछले कुछ दिनो मे ज्यादा फला फूला है, कुछ समय पहले ज्वालापुर क्षेत्र मे नशे के अवैध कारोबार मे कमी आई थी, उसका एक कारण यह था, कि ज्वालापुर कोतवाली मे चंद्रभान सिंह अधिकारी जैसे ईमानदार अफसर की तैनाती हुई थी, चंद्रभान सिंह अधिकारी जिस समय उक्त कोतवाली मे तैनात थे, उस समय के वर्ष-2018 के निकाय चुनाव बडे ही निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हुए थे, वरना चुनाव के समय कुछ ना कुछ घटना इस क्षेत्र मे घटित हो ही जाती थी, लेकिन चंद्रभान सिंह अधिकारी जैसे ईमानदार अफसर की ईमानदारी उन्ही ही के विभाग को अच्छी नही लगी और कुछ दिनो मे ही उक्त ईमानदार अफसर का स्थानांतरण कर दिया गया, चुनाव की दृष्टि से ज्वालापुर के अतिसंवेदनशील क्षेत्र होने के कारण उक्त कोतवाली मे वर्तमान समय मे तैनात पुलिस कर्मियों मे 23 पुलिस कर्मी ऐसे है, जो पिछले 03-वर्षो से उक्त कोतवाली मे डटे हुए है, जिसका पता उक्त कोतवाली के जनसूचनाधिकारी से सूचना अधिकार के तहत प्राप्त सूचना के पत्रांक सं०-12/2018 दिनाँक 10-03-2019 से चलता है, जबकि पुलिस रेगुलेशन के तहत किसी कोतवाली/थाने मे तैनात पुलिस कर्मी 03-वर्षो से ज्यादा किसी जरूरी कारण के तैनात नही रह सकता है, ज्वालापुर के सम्मानित समाज मे वर्तमान समय मे अफवाहे सरगर्म है, कि चंद्रभान सिंह जैसे अधिकारी के जाने के पश्चात ज्वालापुर मे अवैध नशे का कारोबार बढ़ा है, समाज मे तो यह भी अफवाहे है, कि चुनाव के दौरान अवैध नशे के कारोबार मे बढ़ोतरी होगी, और चुनाव मे खूब शराब बांटी जायेगी, ऐसी आशंका भी समाज के बुद्धिजीवी लोग जता रहे है, समाज के सम्मानित लोगो का तो यहाँ तक कहना है, कि उक्त कोतवाली मे पिछले 03-वर्षो से तैनात पुलिस कर्मियों की शह पर नशे का अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध नशे के कारोबार के सभी ठिकानो की बखूबी जानकारी उक्त कोतवाली मे पिछले 03-वर्षो से तैनात पुलिस

कर्मियो को है, जो अवैध नशे के कारोबारियों को कोई भी कार्यवाही से पहले ही सूचना दे देते है, समाज के कुछ लोगो का तो यहाँ तक कहना है, कि ज्वालापुर क्षेत्र मे नशे का ज्यादातर अवैध कारोबार मुस्लिम वर्ग का है, और उक्त कोतवाली मे पिछले 03-वर्षो से कुछ मुस्लिम वर्ग के पुलिस कर्मी भी तैनात है, जो पूर्ण रूप से उनका सहयोग करते है, और उक्त कोतवाली मे कुछ पुलिस कर्मी ऐसे है, जिनको दोबारा तैनात किया गया है, दोबारा तैनाती पर आये पुलिस कर्मी भी उक्त सभी नशे के अवैध धन्धो और ठिकानों से भली प्रकार परिचित है, आम समाज से इस प्रकार के अवैध धन्धों की शिकायत करता हुआ डरता है, यदि डरते डरते कर भी देता है, तो अवैध कारोबारियों से मिले पुलिस कर्मी शिकायतकर्ता का नाम सार्वजनिक कर देते है, जिससे आम समाज के दूसरे लोग शिकायत करने से पहले ही डर जाते है।

भारत और समाज का सम्मानित नागरिक होने के नाते स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर मैने अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास किया है,और आपको ज्वालापुर की परेशानियों से अवगत करा दिया है, ताकि समय रहते हुए आप उचित कार्यवाही करे। और उक्त कोतवाली मे पिछले 03-वर्षो से तैनात पुलिस कर्मियो एवं दोबारा तैनात हुए पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण के दिशा-निर्देश सम्बन्धित विभाग के अफसरो को दे, ताकि निष्पक्ष चुनाव कराने के मार्ग को मजबूती मिले। जनहित मे उचित कार्यवाही करें।

धन्यवाद

प्रार्थी

दिनाँक:-19-03-2019

अब्दुल सत्तार
(RTI & SOCIAL WORKER)
मौ०कस्साबान ज्वालापुर हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-पुलिस कप्तान हरिद्वार

sairakeshpt@gmail.com sairakeshpt@gmail.com sairakeshpt@gmail.com

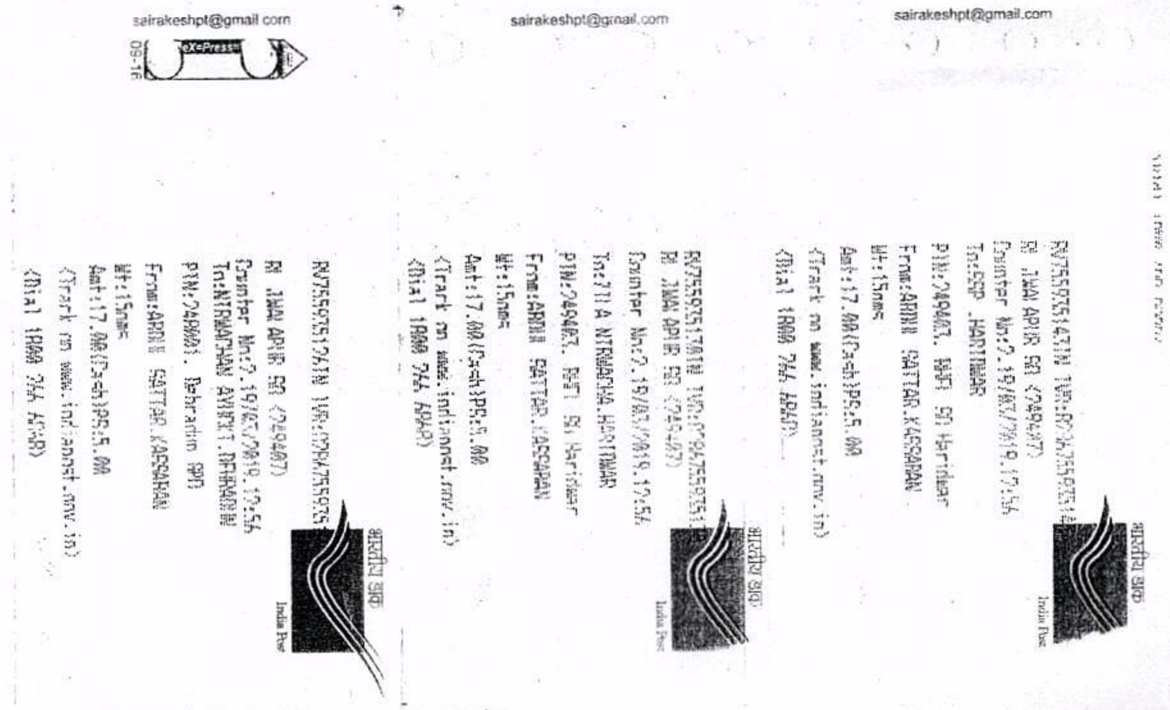

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक 2549 / रा.नि.आ.-2/1601/2014

दिनांक 29/3/2019

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

रोशन लाल,
सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।

राज्य निर्वाचन आयोग: अनुभाग–दो: देहरादून।

विषय– विधानसभा सभा/लोकसभा निर्वाचन से सम्बन्धित प्राप्त पत्रों के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन से सम्बन्धित प्राप्त निम्नानुसार पत्रों को मूल रूप में प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि संलग्न पत्रों पर अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

| क्र0 सं0 | पत्र प्रेषित करने वाले का नाम व पता | संदर्भ/विवरण |
|---|---|---|
| 1. | श्री अरविन्द कुमार, चूनाभट्टा, रायपुर रोड, देहरादून का दिनांक रहित पत्र। | लोकसभा चुनाव–2019 में आचार संहिता के उल्लघंन के सम्बन्ध में। |
| 2. | एक्स0 वाई0जेड0 का दिनांक रहित पत्र । | निर्वाचन डयुटी के सम्बन्ध मे। |
| 3. | श्री कपिल मल्होत्रा एवं समस्त पत्रकार, जनपद अल्मोडा का पत्र दिनांक 24.03.2019 | पत्रकारों के उत्पीडन के सम्बन्ध में कार्यवाही की मॉग। |
| 4. | श्री अब्दुल सत्तार मोहल्ला कस्साबान ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार का पत्र दिनांक 19.03.2019 | पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में। |
| 5. | श्री साहब सिंह यादव, प्रवक्ता, रा0इ0का सितारगंज,जनपद ऊधमसिहनगर का पत्र दिनांक 16.3.2019 | निर्वाचन डयूटी के सम्बन्ध मे। |
| 6. | कार्यालय विभागाध्यक्ष, कीट विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय पन्तनगर, जनपद ऊधमसिहनगर का पत्र दिनांक 19.3.2019 | निर्वाचन डयूटी के सम्बन्ध मे। |
| 7. | श्री गबर सिह कठैत, अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य प्रार्थीगण, धनसाणी बासर, जनपद टिहरी गढ़वाल का पत्र दिनांक 15.03.2019 | चुनाव बहिष्कार के सम्बन्ध में। |
| 8. | श्री सुबोध सिह विष्ट, टकाना लाईन, जनपद पिथौरागढ का पत्र दिनांक 19.03.2019 | स्थानान्तरण के सम्बन्ध में। |

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या : 2549/रा0नि0आ0–2/1601/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– उपरोक्त संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।

(रोशन लाल)
सचिव।

निर्वाचन भवन, राम नगर...
... देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457, 2670998
टेलीफैक्स : 0135 - 2670920, 2670545
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com